

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-।
संख्या: अट्टारह-आशु0-(वरि0)-2015 दिनांक : दिसम्बर 17, 2015

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के समसंख्यक पत्र दिनांकित: 27.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) की अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी थी।

2- पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की निर्गत उक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निवारण करते हुए संशोधन कर दिया गया है एवं अब कुल 698 कर्मियों की अन्तिम **(Final)** वरिष्ठता सूची की तैयार की गयी है, जो <http://uppolice.gov.in> में **'Karmik' folder में Internet पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर Download करके** अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित कराने का कष्ट करें।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया अन्तिम वरिष्ठता सूची के **कर्मिक-698 तक के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के सेवा अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जाय:-**

(1)- विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

(2)- वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं के वार्षिक मन्तव्य, सत्यनिष्ठा पूर्ण कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियां/सूचना अंकित करने के

सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र संख्या:डीजी-परिपत्र-49/2013 दिनांक 29-08-2013 द्वारा समुचित मार्ग-दर्शन निर्गत किया गया है। (परिपत्र दिनांक 29-08-2013 की प्रति संलग्न है।)

- (3)- भर्ती/चयन वर्ष-2014 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक-698 तक के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) का विवरण बोर्ड प्रपत्र-12 में वर्ष-2005 से 2014 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 01-07-2015 होगी। बोर्ड प्रपत्र-12 को भरने हेतु दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक "प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ" पर लिंक करने पर "प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप" के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहाँ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। (बोर्ड प्रपत्र-12 एवं भरने हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।)
- (4)- बोर्ड प्रपत्र-12 में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-12 में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।
- (5)- कतिपय पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक-698 तक के पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। (स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)
- (6)- यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड

प्रपत्र-12 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-12 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।

- (7) समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।
- (8) सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की चरित्रपंजिकायें एवं **बोर्ड प्रपत्र-12 में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सीडी** लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-18 में दिनांक: 20.12.2015 तक उपस्थित होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (अन्तिम वरिष्ठता सूची)

नीचे पर उपलब्ध


(भगवान स्वरूप)

पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि : पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) की अन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

संलग्नक: यथोपरि (सीडी सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या-डीजी-परिपत्र-49/2013

दिनांक : लखनऊ : अगस्त 29, 2013

संघ में

- 1-समाप्त पुलिस महानिरीक्षक,जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 2-समाप्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश
- 3-समाप्त जगदीश्वर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/शाखा/इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

कानूनना0पु0 से हेड कानूनना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में वर्ष 1997 तक सभी पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजीकों/ सेवा अभिलेखों को वृद्धिहित उपलब्ध कराने के संबंध में

ज्ञात है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर अनुभवकों को छोड़ते हुए, प्रोन्नति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाना है। उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के आधार पर अनुभवकों को छोड़ते हुए पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजीकों का अद्यावधिक होना अपरिहार्य है। अतः तत्पश्चात् वृद्धिपूर्ण सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बात की सम्भावना रहती है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुछ कर्मियों के संबंध में प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता अथवा कुछ कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की संरक्षित सूची तैयारी में अकार्य रही ही जाती है। आप सभी सहमत होंगे कि यदि प्रोन्नति के बाध होते हुए भी किसी कर्मि को प्रोन्नति नहीं मिलती है अथवा विलम्ब से मिलती है तो इससे उसका मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2- उपरोक्त तथ्यों के वृद्धिगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्नति प्रक्रिया के वृद्धिहित निष्पादन के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजीकों का गहनता से पुनरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी कर्मियों की चरित्र पंजीकों की सभी प्रविष्टि अद्यावधिक कर दी गई है तथा साथ ही मासिक रोल सिस्टम में भी सभी प्रविष्टियाँ फीड कर दी गई हैं।

3- अतः आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि जगपद/इकाई स्तर पर अथवा पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के नेहरू में एक टीम का गठन कर दिया जाय तथा उत्तम प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित चरित्र पंजीका लिपिक तथा अन्य उपयुक्त कम्प्यूटर कार्य को दक्ष कर्मचारियों को नियुक्त कर निम्नवत् सभी विन्दुओं पर वांछित अद्यावधिक सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर चरित्र पंजीकों में तथा मासिक रोल सिस्टम में अंकित कराना सुनिश्चित करें -

वार्षिक मन्तव्य:-

- 1- कर्मियों के सेवा अभिलेख में सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तव्यों की प्रविष्टि करना।
- 2- कर्मियों के प्रतिकूल मन्तव्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का हल्लेख चरित्र पंजीका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्रवाई पूर्ण कराये। यदि इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यालय या मा0 अधिकारण द्वारा कोई सूचना/देश अथवा निर्देश दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजीका में करते हुए इत्तको प्रमाणित प्रति चरित्र पंजीका में रखना की जाय।

PHQALD

21/8/13

3-कर्मियों के वार्षिक मन्तव्यों के कतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दशा में सामान्य होने की मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो जे.प्र.ओ पुलिस भर्ती एवं भ्रान्ति बोर्ड द्वारा मान्य नहीं है। अतः इस प्रकार सामान्य की मोहर लगाकर चरित्र पंजीका नहीं प्रेषित किया जाये।

4- कर्मियों के वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्या: 36/8/1978-कार्मिक-2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के अनुसार ब्लॉक की मोहर लगाकर वार्षिक मन्तव्य प्रेषित किये जाते हैं। दो वर्ष से अधिक वर्षों में ब्लॉक की मोहर लगाकर प्रेषित करना नहीं मान्य होगा। अतः दो वर्षों से ज्यादा में ब्लॉक की मोहर न लगाई जाय।

6-यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मन्तव्य न लिखा जा पा रहा तो उस वर्ष के सम्बन्ध में निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना चरित्र पंजीका में अंकित किया जाये:-

- (1) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मों की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण पत्र। इस सम्बन्ध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त वर्षों में यह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा से विरत अथवा परहाजिर तो नहीं रहे हैं।
- (2) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य, सत्यपत्रिका, निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हो तो उक्तको विवरण तथा जिस घटना के सम्बन्ध में दण्ड मिला हो तो उस घटना का दिनांक। जैसे-किसी कर्मों को 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला हो तो दोनों दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाये कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला है।
- (3) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मों के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमे की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। क्या वह विवेचनाधीन है, क्या अन्तिम रिपोर्ट लगी है? क्या इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर माननीय न्यायालय में विचारार्थीन है? या विचारार्थी होकर दायर हो आया है अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गई है? स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायावृत्ति भी प्राप्त कर चरित्र पंजीका में दर्शा दी जाय।

सत्यनिष्ठा-

कर्मियों की सत्यनिष्ठा रोकें जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजीका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अप्रिप्त कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में मा. न्यायालय या मा. अधिकरण द्वारा कोई शासनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजीका करते हुए इसको प्रमाणित प्रति चरित्र पंजीका में दर्शा दी जाय।

दण्ड, अपील एवं रिवीजन -

- 1-कर्मियों को 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत प्रवृत्त दण्ड का उद्धार चरित्र पंजीका में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस घटना के सम्बन्ध में दण्ड प्रदान किया गया है उसके घटित होने की तिथि अथवा अथि उद्धार में अवश्य अंकित हो।
- 2-कर्मियों को दिये गये दण्ड से विरुद्ध योजित अपील तथा रिवीजन में पारित निर्णय अथवा उनके विचारार्थीन होने का स्पष्ट अंकन किया जाये। यदि अपील अथवा रिवीजन में पारित आदेश के कारण दण्ड विलोपित किया जाता है तो उसको सम्पत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया गया हो।
- 3-कर्मियों को प्रवृत्त दण्ड के विरुद्ध यदि मा. लोक सेवा अधिकरण अथवा मा. न्यायालय द्वारा दण्ड के सम्बन्ध में पारित शासनादेश अथवा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख उसकी चरित्र पंजीका में किया जाय तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजीका में दर्शा दी जाय।

निलम्बन-

1- कर्मियों के निलम्बन व उनके निस्तारण का स्पष्ट रस्तरेख चरित्र पत्रिका में किया जाये।
 2- कोई कर्मियों की चरित्र पत्रिकाओं में उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने के कारण निलम्बित किया जाया अंकित किया जाता है परन्तु उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण चरित्र पत्रिका में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि कोई कर्मों अभियोग पंजीकृत होने के कारण वर्तमान में अथवा पूर्व में निलम्बित किया गया है तो चरित्र पत्रिका के किसी खास पृष्ठ पर उस अभियोग के सम्बन्ध में अद्यावधिक सूचना अथवा अंकित की जाय और चरित्र पत्रिका में निलम्बन के विवरण को सम्बन्ध अभियोग की अद्यावधिक सूचना से सम्बन्धित पृष्ठ संख्या को अंकित कर दिया जाय।

अपराध-

कर्मियों के सेवा अभिलेखों में उनके विरुद्ध पंजीकृत सभी अभियोगों का स्पष्ट अंकन किया जाय। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाये कि क्या पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है अथवा नहीं, यदि आरोप पत्र प्रेषित है तो आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि तथा आरोप पत्र संख्या को चरित्र पत्रिका में अंकित किया जाये। यदि तबत रिपोर्ट प्रेषित की गई है तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं मा० न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने की तिथि तथा उस आदेश की प्रमाणित छायाप्रति चरित्र पत्रिका में अंकित और चरित्र पत्रिका में अंकित करने की तिथि अभियोग में यदि कोई कर्मों दोषमुक्त किया गया हो तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पत्रिका में अंकन की जाये व उसका स्पष्ट अंकन चरित्र पत्रिका में किया जाये। यदि मा० न्यायालय में विद्यमान अभियोग में कोई कर्मों को दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका भी स्पष्ट अंकन किया जाय तथा मा० न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पत्रिका में अंकन कर दी जाये। सम्प्रति कर्मियों के विरुद्ध सभी अभियोगों की अद्यतन स्थिति चरित्र पत्रिका में अंकित की जाये जिससे कर्मियों के सम्बन्ध में ध्यान सभिति द्वारा सही निर्णय लिया जा सके।

4- ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर लें जिनकी चरित्र पत्रिका जनपद में प्राप्त नहीं है अथवा खो गई है और हुस्लीफेट चरित्र पत्रिका तैयार की जा रही है या हुस्लीफेट चरित्र पत्रिका तैयार की गई है। इस काम में सुनिश्चित कर लिया जाये कि हुस्लीफेट चरित्र पत्रिका में सम्बन्धित कर्मों के वर्ष 1990 से अब तक के सभी वार्षिक मन्सूब, दीर्घ, अनु अथवा पुद्द एण्डो सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरन्तरता का उल्लेख कर दिया गया है। एण्डो के सम्बन्ध में की गई अपील तथा रिवीजन की अद्यावधिक स्थिति भी स्पष्ट की जाय। इस कार्य का अनुसूचना प्रतिदिन जनपदीय/इकाई प्रवारी द्वारा किया जाय तथा समस्त अपेक्षित कार्यवाही 15 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

- राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवागत कर्मियों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही विपयल शासनआदेश संख्या-13/21/83-का-1-1997 दिनांक 28-06-1997 के खण्ड-2 में प्रहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों की स्पष्ट सूचना 2000 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रार-3 में अंकित किया जाये :-

- 1- यदि कार्मिक निलम्बित पत्र रहा है।
- 2- यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनिककरण की कार्यवाही सम्भिता है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।
- 3- यदि आपराधिक आरोप के अन्तर्गत कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही सम्भिता है अथवा न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

विधित हो कि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों की चरित्र पत्रिकाएं अपूर्ण अथवा कृटिपूर्ण होने के कारण नति प्रक्रिया बाधित होती है। अतः समता को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रिन्तुओं को ध्यान में रखते हुए 1970 से 77 भर्ती वर्ष तक के आरक्षियों की चरित्र पत्रिकाएं पूर्ण करा ली जाय तथा 2000 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रार-3 में अति सावधानीपूर्वक समस्त सम्बन्धों में अंकित की जाय।

निर्देश
 जन
 इका
 संख्या
 0 मुक्ति
 2015
 निर्देश
 जन
 इका
 संख्या
 संख्या
 संख्या
 संख्या
 संख्या
 संख्या

रूप से पूर्ण कराये जाने का व्यक्तिगत वापिस जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व इकाई/शाखा प्रहारी के साथ-साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी कार्यालय का इंगार तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकार में आने पर संबंधित जनपद/इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विभाग/शाखा, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिश्रम अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में इस कार्य की प्रगति को प्रत्येक सप्ताह अनुभवना करेंगे और इसको 30 सितम्बर 2013 तक प्रत्येक दिनांक में पूर्ण करावेंगे।

(देवराज नागर) 29/8/13
 पुलिस महानिदेशक,
 उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि-कृपया निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित है :-

- 1-पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, खाद्य प्रकोष्ठ, आवास निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवधिकार, तकनीकी सेवार्थ, २०२० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, सीपीसीसीआईसी, जासायात, इन्फोर्माटिव, विशेष जॉब, पीसीएस, सहकारी, नृशिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 3-पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश।
- 4-पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) २०२० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

29/8/13
 निर्देश
 पुलिस महानिदेशक
 २०२०

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण
सत्र-----का पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्ति स्थान-

दिनांक:

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व ((3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।